



इसी दौरान दो ऐसे नाम सामने आए, जिनकी भूमिका सँदिग्ध मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इनमें ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी का नाम हो सकता है। बैंक से जुड़े लोग की भूमिका को लेकर भी जांच कं गई है। विवेकचक ने दोनों सँदिग्ध की भूमिका की दस्तावेज और बयानों के आधार पर जांच की है। हालाँकि पुलिस ने अभी दोनों के नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में कथित गड़बड़ी और चोरी का मामला 5 जून को सामने आया। शासन ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर 25 जून को रामजन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ बीएनएन की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।